न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 389 / 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

नरपिन्द्र सिह पुत्र बलविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ **– वादी**

बनाम

1. बलविन्द्र सिह पुत्र जवाहर सिह जाति जटसिख सा. संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नक्षत्र सिह सिद्बू वकील वादी
2– श्री चरणजीत सिह सिद्व – वकील प्रति सं.
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :–

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के पिता प्रति स. 1 बलविन्द्र सिह पुत्र जवाहर सिह के नाम चक 1 आर.टी.पी. खाता स. 20 / 0 खाता बलविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2071–74 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न है। दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स. 1 का वारिस वादी ही है। प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी वादी की जद्दी जायदाद है।जिसमें वादी का जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है लेकिन प्रति स. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्से का परित्याग अपने पुत्र वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त आराजी का वादी ही हकदार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा की दफा 3 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण [illegible] स. 2 को लैण्ड होलडर हेाने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। इस प्रति कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चाहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested

गया है। वाद वादी बाबत ईस्तकरार हक है जो कि 2/–रूपए के न्याय शुल्क पर पेश है समायत अदालत हाजा है तथा अन्दर मियाद हैं।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक 1 आर.टी.पी. खाता स. 20/0 खाता बलविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2071–74 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 बलविन्द्र सिह पुत्र जवाहर सिह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी नरपिन्द्र सिह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ चक 1 आरटीपी खाता संख्या 20 जमाबन्दी सम्वत 2071'2074 प्रदर्श–1 एवं चक 1 आरटीपी का इन्तकाल संख्या 504 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 1 आरटीपी के खाता संख्या 20/0 खाता बलविन्द्र सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा वादी प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिह का पुत्र है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 1 आरटीपी के खाता संख्या 20/0 खाता बलविन्द्र सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में 1/2 हिस्सा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादी सख्ंया 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्र[illegible] तनकीयात कायम किये जाने की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः— प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिह पुत्र जवाहर सिह के नाम दर्ज चक 1 आरटीपी खाता संख्या 20/0 खाता बलविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2071—2074 के सांझा खाता में दर्ज आराजी का वादी नरपिन्द्र सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिह का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 389 / 2023

नरपिन्द्र सिह पुत्र बलविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1. बलविन्द्र सिह पुत्र जवाहर सिह जाति जटसिख सा. संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया____

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिह सिद्धू वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिह पुत्र जवाहर सिह के नाम दर्ज चक 1 आरटीपी खाता संख्या 20 / 0 खाता बलविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2071–2074 के सांझा खाता में दर्ज आराजी का वादी नरपिन्द्र सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.02.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested